29401 9/5/16

द्वारा ई–मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःदस–55–2009 दिनॉकः मई 17 ,2016

आदेश

उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस को निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :–

क.सं	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जनपद	परिक्षेत्र/इकाई	चयन का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	792418390	खजान सिंह	भीमसैन	मेरठ	मेरठ	2014

2. पदोन्नति पाये निरीक्षक घुड़सवार पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये निरीक्षक घुड़सवार पुलिस की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

PL web site

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उप निरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नहीं हों।

19/5/16

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में उपर्युक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो उपरोक्त उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस को निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो उक्त उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पद पर प्रदर्शित है।

संलग्नक : प्रारूप (क)।

(ए0के0 शुक्ल)
पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना
उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक–कार्मिक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया **उक्त आदेश एवं प्रारूप (क) की प्रति** उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रारूप–'क'

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र.———————————————— निवासी———————————— थाना————————————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूॅ तथा घोषित करता हूॅ कि :–

"मेरे विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूॅ।"

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्णरूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगाः–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉकः———————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————————थाना ———————— जनपद———————— में लम्बित है, जिसमें दिनॉकः————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी———————————— द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

322

2941 19/5/16

द्वारा ई-मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्याःदस-55-2009 दिनॉकः मई 18 ,2016

शुद्धि पत्र

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के आदेश संख्या दस-55-2009 दिनांकित 17.5.2016 द्वारा जनपद मेरठ में नियुक्त उप निरीक्षक घुड़सवार श्री खजान सिंह पुत्र श्री भीमसैन को उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2. उपर्युक्त आदेश के प्रस्तर 01 में निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के बजाय त्रुटिवश निरीक्षक नागरिक पुलिस अंकित हो गया है। इसे निरीक्षक नागरिक पुलिस के बजाय निरीक्षक घुड़सवार पुलिस पढ़ा/समझा जाये।

3. अतः उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के आदेश संख्या दस-55-2009 दिनांक 17.5.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

I/C Website

18/05

(ए0के0 शुक्ल)
पुलिस उपमहानिरीक्षक-स्थापना
उ0प्र0।

19/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ।

FAR

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-
1. अपर पुलिस महानिदेशक-कार्मिक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक-स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया **उक्त शुद्धि-पत्र आदेश की प्रति** उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।